LOK ALOK NEWS WEB NETWORK www.lokalok.in

लोक आलोक न्युज

www.lokalok.in

झारखण्ड कोरोना UPDATE

संक्रमित	मौत
38	02

दिनः-रविवार, Digital एडिशन दिनांक : 19 अप्रैल, 2020

कल से हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी ये सेवाएं और दुकानें होंगी शुरू

दिल्ली/जमशेदपुर (संवाददाता, लो०आ०)– देश में बढ़ते कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है. लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कुछ जरूरी सेवाओं में कल यानी 20 अप्रैल से शर्तों के साथ छूट मिलने की सम्भावना भी जताई जा रही है. सरकार की गाइडलाइन में बताया गया है कि हम और आप क्या कर सकते हैं, और क्या नहीं. यानी किन बातों या सेवाओं पर छूट होगी और किन पर रोक.वैसे यह बात साफ कर दी गई है कि पाबंदियां तो अभी से लागू हैं और आगे भी लागू रहेंगी, पर कुछ सेवाओं में जो छूट मिलने वाली है, वह 20 अप्रैल से लागू होगी. लेकिन बेहद सख्त शर्तों के साथ. नियम की अनदेखी हुई तो सभी छूट खत्म की जाने की सम्भावनाये भी हैं. (शेष पेज 3 पर)

लोक आलोक न्यूज में
विज्ञापन के लिए संपर्क करे
8084400718
/lokaloknews /lokaloknews /lokaloknews

झारखण्ड के रांची में अगले दो–तीन दिन हो सकती है बारिश

रॉंची – मौसम पूर्वानुमान के तहत आने वाले दो–तीन दिनों तक रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. बता दें कि उत्तरी भारत में बने पश्चिमि विक्षोभ के कारण देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला है, जिसके कारण उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश और कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिली.पिछले कुछ दिनों से लगातार जमशेदपुर सहित झारखण्ड के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश भी देखने को मिल रही है कि देशभर में केंद्र सरकार के तहत 65.26 लाख पेंशन लाभार्थी हैं.

राजस्थान में फंसे छात्रों और मजदूरों की वापसी के लिए सीएम ने ट्वीट कर केंद्र पर साधा निशाना

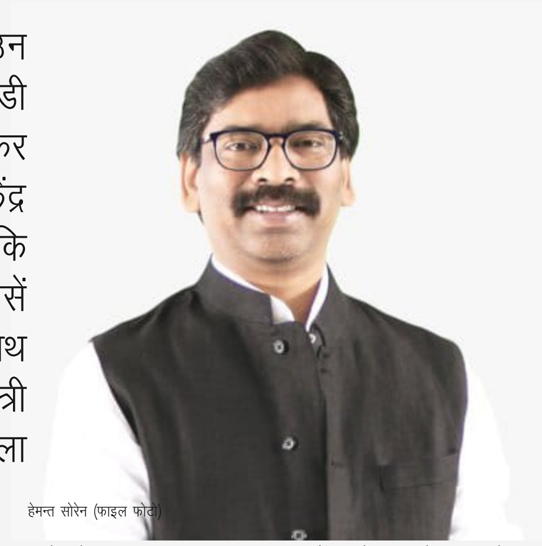
हेमन्त सोरेन (फाइल फोटो)

रांची– कोरोना के कहर के बीच लॉक डाउन के दौरान विभिन्न राज्यों में फंसे झारखंडी मजदूरों और छात्रों को निकालने को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब यूपी के बच्चों को निकालने के लिए बसें भेजी जा सकती हैं तो झारखंड के साथ अन्याय क्यों? आपको बता दे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल के बाद बसें भेज कर राजस्थान के कोटा से बच्चों को वापस बुलाया जा रहा है तो केंद्र सरकार को झारखंडवासियों को भी इसी तरह व्यवस्था कर भेजना चाहिए. हेमंत सरकार ने कहा कि झारखंड के बच्चो और मजदूरो के साथ भी न्याय होना चाहिए. आखिर झारखंडियों के साथ ये अन्याय क्यूँ ? हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से इस मामले में झारखण्डवासियों को जबाव देने की बात भी कही है.

पेंशन कटौती की अफवाह पर सरकार की सफाई, लोगों की टेंशन दूर

दिल्ली – कोरोना संक्रमण के तहत केंद्र और राज्य सरकार के फण्ड में लोगो द्वारा जमा किये जा रहे राशि के साथ ही कुछ लोगो ने यह अफवाह उड़ाया था कि सरकार की ओर से पेंशन भी काटे जाने की उम्मीद है. लेकिन केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि पेंशन कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार इस संबंध में किसी तरह का कोई विचार नहीं कर रही. सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के संज्ञान में आया है कि मौजूदा कोविड–19 महामारी के मद्देनजर और मौजूदा आर्थिक परिदृश्य में कई अफवाहें चल रही हैं कि सरकार पेंशन कम करने या बंद करने पर विचार कर रही है जो कई पेंशनभोगियों के लिए चिंता का विषय है.विभाग की विज्ञप्ति में कहा गया कि जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है और पुनरू दोहराया जा रहा है कि पेंशन कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार इस संबंध में किसी तरह का विचार नहीं कर रही. सरकार तो पेंशनभोगियों के कल्याण और कुशलता के लिए प्रतिबद्ध है. ज्ञात हो कि देशभर में केंद्र सरकार के तहत 65.26 लाख पेंशन लाभार्थी हैं.

दिल्ली में फैल रहा है कोरोना वायरस, अभी नहीं दी जाएगी लॉकडाउन से राहत

नयी दिल्ली (एजेंसिया) – लॉक डाउन के दौरान दिल्ली सरकार ने तय किया है कि वह अभी जारी लॉकडाउन में राहत नहीं देगी क्योंकि फिलहाल राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण का फैलना थमा नहीं है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यह जानकारी दी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सरकार एक हफ्ते बाद फिर स्थिति का आकलन करेगी. उन्होंने कहा कि वायरस फैलना शुरू होने के बाद संक्रमित क्षेत्रों का नियंत्रण को बढ़ा दिया गया है, लेकिन आश्वस्त किया कि स्थिति काबू में है. उन्होंने कहा, ऐसे मामले सामने आए हैं जहां उन लोगों में कोविड–19 की पुष्टि हुई है जिनमें लक्षण नजर नहीं आ रहे थे. मुख्यमंत्री ने तबलीगी जमात मरकज कार्यक्रम को वायरस के प्रसार का कारण बताया और कहा कि दिल्ली में देश भर से सामने आये कुल मामलों के 12 प्रतिशत मामले हैं. केजरीवाल ने कहा कि अब तक शहर में कोरोना वायरस के 1,893 मामले सामने आये हैं. वहीं नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने कहा है कि जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर थूकते या पेशाब करते नजर आएंगे उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के मकसद से यह कदम उठाया गया है. यह आदेश गृह मंत्रालय की ओर से तीन दिन पहले जारी निर्देश के अनुपालन में आया है जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को दंडनीय अपराध बनाया गया है. एनडीएमसी के सचिव अमित सिंगला ने कहा, कोरोना वाययरस के प्रसार को रोकने के निर्देशों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यह निर्देश दिया जा रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना या पेशाब करना प्रतिबंधित होगा. और उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. गृह मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया कि बंद की अवधि के दौरान शराब, गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा और थूकना सख्त तौर पर प्रतिबंधित होगा तथा जुर्माना लगाकर दंड दिया जाएगा.

Fight against COVID-19

सतर्क रहें! सुरक्षित रहें! क्योंकि सावधानी ही बचाव है

सिदगोड़ा पुलिस ने अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा, सरगना फरार

जमशेदपुर– पूरे देश में लॉक डाउन होते ही इन दिनों शराब माफियाओं की सक्रियता साफ नजर आ रही है यूं कहें कि शराब माफियाओं की चांदी ही चांदी है इन शराब माफियाओं पर सिदगोड़ा पुलिस ने शिकंजा कसा बागुनहातु के राजू सहीस के घर पर छापामारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद करने में सफलता पाई है वहीं अवैध शराब कारोबार में संलिप्त मुख्य सरगना फरार बताए जा रहे हैं घटनास्थल से सिदगोड़ा पुलिस एक एक्टिवा और एक स्प्लेंडर जप्त कर जांच में जुट गई है. वही सिदगोड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध शराब में संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा साथ ही साथ अन्य ठिकानों पर भी सूचना इकट्ठा की जा रही है एक साथ छापामारी की जाएगी.

झारखंड में मरीजों की संख्या पहुँची 34, दो मौत

रांची– झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को भी झारखंड में तीन कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। आपको बता दे कि आज फिर से हिंदपीढ़ी में 2, सिमडेगा में 1 और बेड़ो में 1 मरीज पाए गए है। राँची के रिम्स में कुल 93 सैंपल की जाँच हुई जिसमें 89 नेगतिव और चार पॉजिटिव पाए गए है। राज्य में कोराना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 38 हो गई है। आपको बता दे कि झारखंड राज्य में एक भी मरीज संक्रमण से मुक्त नहीं हुआ है। जब कि झारखंड में दो की मौत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना बढ़ना राज्य के लोगो के लिए खतरा से खाली नही है। आपको बता दे कि झारखंड कोरोना से काफी दिनों तक बचा हुआ था लेकिन आखिरकार यहाँ भी कोरोना की एंट्री हो ही गयी और अब कुल संख्या 38 हो गई है। आपको बता दे कि राँची के एक रिटायर्ड ऑफीसर भी संक्रमित पाए गए है लेकिन वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे लेकिन चूंकि उनकी मौत दिल्ली में हुई है और वही वे पॉजिटिव पाए गए है इस कारण उनकी गिनती झारखंड में नही की जा रही है.

जानें– किसे छूट मिलेगी और कहां जारी रहेगा प्रतिबंध.

घरेलू उपयोग में इन पर रहेगी छूट

- किराना और राशन की दुकानें.
- फल–सब्जी के ठेले, साफ–सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें.
- डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें.
- इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस.
- ई–कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी. डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी.
- जिला प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि वो सभी जरूरी सेवाओं की होम डिलिवरी का इंतजाम करे. ऐसा होने पर ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलेंगे. दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा.
- आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर. इनमें 50फीसद से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा.
- केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर.
- ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मैंटेनेंस सर्विसेस.
- ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे. राज्य सरकारें की जिम्मेदारी होगी कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.
- गांवों और खेती–किसानी से जुड़ी ये सेवाएं और उद्योग शुरू हो सकेंगे
- नगरीय निकाय की सीमा से बाहर गांवों में उद्योग शुरू किए जा सकेंगे.
- गांवों में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा.
- ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे.
- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस शुरू होगी.
- फिशिंग ऑपरेशन (समुद्र और देश के अंदर) जारी रहेंगे. इसमें– मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी.
- हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे. मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आवाजाही कर सकेंगे.
- चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए फिलहाल 50 फीसद मजदूर ही रहेंगे.
- दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा.
- पोल्ट्री फॉर्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी.
- पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफेक्चरिंग और डिस्ट्रिब्यूशन हो सकेगा. पशु शेल्टर और गौशालाएं खुलेंगी.
- जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम होगा. इनमें ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं.
- सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मनरेगा कामगार काम कर सकेंगे.
- ऐसी प्रोडक्शन यूनिट, जिसमें प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता. वे शुरू हो सकेंगी. उनकी सप्लाई चेन भी शुरू हो सकेगी.
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कंपनियों को अपने यहां काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में करनी होगी. अगर स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनके आने–जाने के इंतजाम करने होंगे.
- आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा. कोल, माइन और मिनरल प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्ट और माइनिंग के लिए जरूरी विस्फोटक की आपूर्ति जारी रहेगी.
- ऑयल और जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी.
- शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा. अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट

BOOK YOUR ADVERTISEMENT
+91 8084400718
+91 8083666506

सभी सरकारी कार्यालय संचालित होंगे, सभी सरकारी कार्यालयों में कोविड–19 से बचाव हेतु जारी विभागीय प्रोटोकॉल का अनुपालन करेंगे– उपायुक्त

राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व थाना प्रभारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की दिया गया दिशा–निर्देश.

सरायकेला –मुख्य सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा, विभाग, झारखंड, रांची राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में उपायुक्त ए. दोड्डे, पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस. द्वारा वीडिओ कॉन्फ्रेंसींग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी को जानकारी दी गई कि ऑटोनोमस बॉडीज एवं लोकल गवर्नमेंट के कार्यालय को दिनांक 20 अप्रैल से खोलने का निर्देश प्राप्त हुआ है. इस बारे में सरायकेला जिलांतर्गत के सभी कार्यालय दिनांक 20 अप्रैल से संचालित होंगे. सभी कार्यालय प्रधान, सरायकेला जिला की यह व्यक्तिगत जवाबदेही होगी कि वे विभागीय निर्देशों के आलोक में कार्यलय को क्रियाशील करेंगे तथा कर्मियों के द्वारा कोविड–19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु जारी प्रोटोकॉल का भी अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे.

इस दौरान उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी प्रखंडों व थाना प्रभारियों से वार्ता कर उनके कार्य प्रणाली की जानकारी ली गई, साथ ही सभी प्रखंडों में राशन वितरण से संबंधित, विभिन्न माध्यमों से भोजन उपलब्ध कराने जैसे– मुख्यमंत्री दाल भात योजना, मुख्यमंत्री दीदी किचन, एवं पुलिस प्रशासन द्वारा संचालित सामुदायिक किचन का समीक्षा भी किया गया. इस दौरान गम्हरिया में तीन, चांडिल में तीन नए मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया, जिससे एक जगह भीड़ एकत्रित ना हो और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए गर्म भोजन का कर सके तथा इससे कोई भूखा व्यक्ति वंचित ना रहें. इस दौरान निर्देश दिया गया कि सभी व्यक्तियों का शत–प्रतिशत मास्क पहनना अति आवश्यक है , मास्क ना पहन कर घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्तियों पर कारवाई करें. जिले में लागू धारा 144 निरंतर लागु रहेंगे, इसके उल्लंघन करने वाले पर करवाई करें.इसके तहत 3 मई तक सिर्फ राशन और मेडिकल स्टोर ही खुले रहेंगे पूर्व की भांति अगले आदेश तक सभी दुकानें बंद रहेंगी. इस दौरान उपायुक्त महोदय व पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी कर्मचारीध्पदाधिकारी को उनके कार्यों की सराहना किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन किया गया . साथ ही सरायकेला खरसावां जिले को कोरोना संक्रमण से बचाने हेतु सावधानी व चौकशी से कार्य करने का निर्देश दिया गया. कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त संजय कुमार, अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, सीडीपीओ सरायकेला राकेश रंजन, डीएसपी चंदन कुमार, डीआरडीए निदेशक मुस्तकीम अंसारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रियंका सिंह एवं अन्य उपस्थित रहे .

जिला प्रशासन व सखी मण्डल की दीदियों के सफल प्रयासों से बनाया जा रहा मास्क

सरायकेला– वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए सरायकेला जिला प्रशासन आमजनों की जरूरतों को पूर्ण करने के प्रयास कर रहा है. जिले में मास्क की जरुरत को देखते हुए जे.एस.एल.पी.एस की महिलाएं लगातार मास्क निर्माण के कार्य मे जुटी हैं. जिला प्रशासन के सहयोग से खरसावां प्रखंड के बेहरसाई गाँव की सखी मण्डल की दीदीओ द्वारा सखी मण्डल की दीदीओ के द्वारा 1450 मास्क निर्मित किया गया है ज्ञात हो कि जिले मे अब तक कुल 14409 मास्क का निर्माण किया जा चूका है.

घर जाने की रट लगाए प्रवासियों को पुनः क्वारांनटाइन किया गया, किसी को अन्तर्राज्यीय आवाजाही की इजाजत नहींः एसएसपी

धनबाद – निरसा पुलिस अनुमंडल के झारखंड बंगाल सीमा पर क्वारेंटाइन किए गए तीन सौ प्रवासी मजदूरों में से कुछ ने आज उस वक्त बगावती तेवर अख्तियार कर लिया जब जलापूर्ति के लिए उक्त सेंटर पर एक टेंकर गया हुआ था. एसएसपी किशोर कौशल ने मीडिया को बताया की टेंकर पानी खाली कर सेंटर से निकल रहा था कि 30–40 लोग घर जाने की जिद करने लगे | वहां के कस्टोडियन ने उन्हें काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया पर वे अपनी लय में घर जाने की रट लगाए हुए थे. इनके हरकतों की सूचना वरीय अधिकारियों को मिली तो मामले की गंभीरता को देखते हुए निरसा के कई जवाबदेह अधिकारियों ने सीधे वहां का रुख किया. अंततः सबों को पुनः क्वारांनटाइन किया गया. एसएसपी ने आगे बताया कि उन्हें पिछले 30 मार्च को क्वारांनटाइन किया गया है. इस बीच सरकार का स्पष्ट गाइडलाइंस है कि किसी को अंतरराज्यीय आवागमन की इजाजत नहीं होगी. ऐसे कोई अकारण या शौक से कैद रहना नहीं चाहता, लेकिन कोरोना जैसी महामारी को परास्त करने के लिए ये समय की मांग है कि लोग जहाँ हैं वहीं रहें तो सुरक्षित हैं. हम उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए बाध्य हैं और इसको मानना आमजन की बाध्यता भी है.आपको बता दे कि लॉक डाउन भाग 1 के दौरान 30 मार्च को सभी को बंगाल जाने से रोका गया था.